न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 103/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/361)

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. संजय पुत्र भूरामल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
3. भू आंवटन सलाहकार समिति दौसा जिला दौसा जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 17.08.2022 प्रकरण संख्या 02/2016 बअनुवानी गिर्राज बनाम संजय जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आंवटन अधिनियम में पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशे़खर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 2 व 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक –15.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 17.08.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.06.2000 को आराजी खसरा नम्बर 658 के रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम बासना का आंवटन अप्रार्थी संजय पुत्र भूरामल को कर दिया गया। उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थी श्री गिर्राज प्रसाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के यहां अपील की गयी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 17.08.2022 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) सारहीन होने के कारण अस्वीकार करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 17.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट गिर्राज प्रसाद पुत्र सीताराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 14(4) का पेश कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

निवेदन किया गया था कि दिनांक 17.06.2000 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आराजी खसरा नंबर 658 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम बासना का आंवटन आंवटन कमेटी की सिफारिश पर कैम्प हापावास में उपखण्ड अधिकारी दौसा की अध्यक्षता में किया गया है। उक्त आंवटन विधि विरूद्ध प्रक्रिया मिसरिप्रजेन्टेशन व फॉडपूर्ण होने के कारण निरस्त योग्य है। अप्रार्थी ने मिल्लत व षडयंत्र से कपटपूर्ण तरीके से तथ्यों को छिपाते हुए फॉडपूर्ण झूठा आवेदन पत्र पेश कर ग्राम बासना की भूमि खसरा नम्बर 658 रकबा 0.41 है0 का आंवटन चाहा गया तथा आंवटन आवेदन पत्र पर नाम, पता व आंवटन के लिए चाही गई भूमि को ही दर्शाया गया है, शेष बिन्दुओं का कोई विवरण नहीं दिया गया गया है। बिन्दु संख्या 01 से 03 पर कोई इबारात नहीं लिखी गई है तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कपटपूर्ण व फ्रोडपूर्ण तरीके से अपनी आयु 22 वर्ष लिखी गई जो सरासर झूंठी है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की आयु विघालय रिकार्ड के अनुसार 19 वर्ष थी। इस प्रकार अपूर्ण, झूठे आवेदन पर भूमि आंवटन आदेष दिनांक 17.06.2000 निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 01 के संयुक्त परिवार में अलग-अलग खातों में कुल 17.0 हैक्टेयर भूमि थी। इस तथ्य को अप्रार्थी ससंख्या 01 ने हल्का पटवारी से साज करके कपटपूर्ण तरीके से छुपा कर भूमि खसरा नम्बर 658 का आंवटन करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त परिवार को दिनांक 1.6.1989 को खवारावजी कैम्प में आंवटन कमेटी अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पिता भूरामल पुत्र छीतरमल के नाम भूमि खसरा नंबर 658/1 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम बासना का आंवटन किया गया है तथा दिनांक 26.06.1992 को आंवटन कमेटी अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के भाई रामावतार पुत्र भूरामल को भूमि खसरा नंबर 656 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम बासना का आंवटन किया गया है। इन दोनों आंवटन आदेशों से अप्रार्थी संख्या 01 के संयुक्त परिवार को कुल 1.16 है0 भूमि का आंवटन हो चुका था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने भूमि आंवटन आवेदन पत्र पर उक्त पूर्व में आंवटित की भूमि का विवरण नहीं लिख कर कपटपूर्ण तरीके से भूमि आंवटित करवाई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हल्का पटवारी के साथ मिल्लत व साज कर अवैध साधनों का प्रयोग कर लालच व प्रलोभन देकर फर्जकारी झूंठी रिपोर्ट तैयार करवाई गई। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित व विधि विरूद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कपटपूर्ण तरीके से अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में 0.52 भूमि चाही व 0.23 है0 भूमि बारानी दर्शायी गयी है तथा आंवटन के लिए चाही भूमि खसरा नंबर 656 व 658 दर्शायी गयी है तथा मौके के स्थिति का कोई उज्र नहीं किया गया। पटवारी हल्का ने अप्रार्थी संख्या 01 की पैतृक संपत्ति का कोई वर्णन नहीं किया। भूमि के आंवटन आवेदन पत्र पर गिरदावर द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है ना ही गिरदावर द्वारा मौके की जांच की गई है, ना ही आपत्ति दर्ज की गई है। भूमि आंवटन हेतु गिरदावर की रिपोर्ट आवश्यक थी। आंवटन कमेटी में ना तो कोरम पूर्ण था तथा ना ही भूमि आंवटन के लिए कोई अधिसूचना जारी की गई। भूमि आंवटन के लिए भूमिहीन कृषकों की कोई सूची तैयार नहीं की गई ना ही आमसभा में भूमि आंवटन किया गया है। यह आंवटन ग्राम सभा में न होकर ग्रामसभा हापावास से 39 किलोमीटर दूर उपखण्ड अधिकारी दौसा के कार्यालय में बैठकर किया गया है। इस प्रकार अपूर्ण आंवटन कमेटी का आदेश अवैधानिक एवं फॉडपूर्ण होने के कारण भी निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त परिवार को दिनांक 1.6.1989 को खवारावजी कैम्प में आंवटन कमेटी अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भूरामल पुत्र छीतरमल नाम भूमि खसरा नंबर 658/1 रकबा 0.75 है. वाके ग्राम बासना का आंवटन किया जा चुका था। उक्त तथ्य को अप्रार्थी सं0 1 व पटवारी हल्का द्वारा कपटपूर्ण तरीके से छिपाकर खसरा नम्बर 656 में से 0.41 है0 भूमि का आंवटन

 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

कराया गया है। आंवटन के समय अप्रार्थी सं0 1 के पिता के नाम मात्र 6.07 है0 भूमि होना बताया गया तथा अप्रार्थी सं0 01 का हिस्सा 1/5 अंकित किया गया। उक्त सारी की सारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट साजपूर्ण थी। अप्रार्थी सं0 1 का विवाह वर्ष 2006 में हुआ था तथा अतिक्रमी की हैसियत 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की होना तथा इस रिपोर्ट के आधार पर आंवटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 26.6.1992 को विधार्थी के रूप में अध्ययनरत था। राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार कृषि की परिभाषा में कहीं भी शिक्षा पढाई करने के कार्य को कृषि में सम्मिलित नहीं किया गया है ना ही विधार्थी को कृषक की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 के हक में किया गया आंवटन निररत योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 के पिता भूरामल व दादी नारायणी द्वारा दिनांक 28.09.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लगभग 24 बीघा 7 एयर भूमि का फूलचंद अजमेरा, एडवोकेट निवासी पापडदा से क्रय की गई थी। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 गरीब भूमिहीन, कृषक की श्रेणी में नहीं होने के कारण किया गया आंवटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के ताउ क्रमश : श्रीगोपाल अजमेर विश्वविधालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर एवं परशुराम पोस्ट मास्टर, भारतीय डाक विभाग के पद पर तथा अप्रार्थी संख्या 1 के चाचा श्रवण कुमार राज0 विश्वविघालय जयपुर में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थे। अप्रार्थी संख्या 1 का परिवार संपन्न परिवार होने के कारण व गरीब भूमिहीन कृषक नहीं थे। साथ अप्रार्थी संख्या 1 बुजुर्गान जमीनों की खरीद फरोख्तं का धन्धा करते थे तथा गरीब किसानों को ऋण मुहैया करवाकर गरीब किसानों की जमीनों को गिरवी रखते थे तथा जरिये स्टांप पर कई किसानों को जमीनों का विक्रय किया जिसकी आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई। प्रार्थी बुजर्गान के समय से ही उकत भूमि खसरा नंबर 659 वाके ग्राम बासना पर मौसमी तौर पर पशु चराया करते थे तथा प्रार्थी का अपने बुर्जुगों के समय से ही कब्जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके बुजुर्गान बेहद चालाक व जालसाज व्यक्ति है, उनके द्वारा पहले आंवटन दिनांक 17.06.2000 को भी रामावतार के भाई संजय द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 658 का आंवटन चाहा गया था। प्रार्थी को उक्त आंवटन की जानकारी दिनांक 6.1.2016 को हुई । आंवटन की जानकारी होने के पश्चात आंवटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा प्रकरंण संख्या 02/2016 बअनुवानी गिर्राज बनाम संजय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू आंवटन अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2022 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 2 व 3 ने बहस के दौरान अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आंवटन नियम 14(4) भूमि आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत कर खसरा नंबर 658 का आंवटन दिनांक 17.06.2000 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आंवटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंवटन नियम 14(4) पूर्व में ही माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 के द्वारा निर्णित किया जाकर आंवटन को बहाल रखा गया है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 को माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के द्वारा निर्णय दिनांक 31.10.2014 के द्वारा अपीलांट की अपील खारिज करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 को यथावत रखा गया है। कानून के मुताबिक एक बार प्रार्थना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्र 14(4) निर्णित होने के बाद उसी आंवटन के विरूद्ध पुनः प्रार्थना पत्र 14(4) नहीं चल सकता है। आंवटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा किया गया आंवटन पूर्ण कोरम में किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे। अतः यह अपील खारिज कर न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.08.2022 को यथावत रखे जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण रेस ज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज किया गया है किन्तु रेस ज्युडिकेटा हेतु आवश्यक अवयव यथा समान पक्षकार, समान विवाधक तथा पूर्व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निस्तारण संबंधी कारकों पर कोई विवेचन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में भूमि आंवटन नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पूर्व कब्जे संबंधी कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुये की प्रस्तुत प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा लागू होता है, प्रकरण को निर्णित कर दिया गया है जबकि आंवटन का मुख्य आधार कब्जा काश्त एवं भूमिहीन होना ही नियमानुसार अपेक्षित होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2022 के विरूद्ध अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/361 उनवान गिर्राज बनाम संजय व अन्य की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जॉच की जाकर तदानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावे :–

1. क्या भूमि आंवटन के समय आंवटी अवयस्क था अथवा नहीं एवं क्या तत्समय आंवटी भूमिहीन था अथवा नहीं ? यदि आंवटी अवयस्क पाया जाये तथा भूमिहीन नहीं पाये जावे तो क्या आंवटन शर्तों की अवेहलना के आधार पर भू आंवटन नियम 14(4) में कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं ?

2. क्या प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है अथवा नहीं ? क्या रेस ज्युडिकेटा हेतु वांछित समस्त अर्हताऍ यथा समान पक्षकार, समान विवाधक तथा पूर्व प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय इत्यादि की जांच भली भांति की गई अथवा नहीं ?

3. आया कि आंवटित भूमि पर कब्जा काश्त संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की गई है अथवा नहीं। यदि हॉ तो किसका कब्जा/काश्त है तथा क्या आंवटन की शर्तो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं। यदि कब्जा काश्त बाबत रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है तो जरिये मौका कमीशनर रिपोर्ट प्राप्त की जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि विवादित आराजी पर वर्तमान में कब्जा काश्त किसका है।

4. उक्तानुसार रिपोर्ट में यदि आंवटी का कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे तथा यदि आंवटी का कब्जा नहीं पाया जाता है तो क्या प्रकरण में भू आंवटन नियम 14(4) की पालना में भूमि का आंवटन शर्तो की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अवेहलना पर पुनः सिवाय चक घोषित किया जाकर राजकीय/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में लिया जा सकता है अथवा नहीं ?

5. यदि किसी तृतीय पक्ष का कब्जा पाया जाये तो भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर भूमि को कब्जे राज लिया जाने बाबत कार्यवाही की जावे।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर।
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर।
जयपुर